न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

133

COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

हरवंशभूषण तिवारी तनय श्री राजकुमार तिवारी, निवासी कामता चित्रकूट जिला सतना (म0प्र0) ------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत जिला चित्रकूट सतना (म0प्र0)

--अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 05/निगरानी/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 05.07.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1955ई0

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैः-

क. यह कि आवेदक को अनावेदक के द्वारा दिनांक 31.08.1997 से दिनांक 03.09.1997 तक का चार दिवसीय सोमवती अमावश्या मे वाहन पार्किग कर वसूली का ठेका 2,03,000/-(दो लाख तीन हजार रु0) मे दिया गया था।

ख. यह कि दिनांक 01.09.97 को चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी मे अत्यधिक बाढ़ एवं वर्षा तथा प्राकृतिक विपदा आंधी, तूफान आदि आ जाने से वसूली चौकी पुरानी लंका पूर्णतः जलम्गन हो गई तथा चित्रकूट स्थित प्रमुख सड़क मार्ग भी जलमग्न थे जिस कारण शासन द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग./सतना/भू रा./2246

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 5/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–7–17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सोमवती मेला चित्रकूल में पार्किंग ठेका वसूली का मामला है जिसके कारण मामला नगरपालिका अधिकारी की धारा 331 के अंतर्गत पुनरीक्षण योग्य था। राजस्व न्यायालय में निगरानी न होकर शासन के यहाँ पुनरीक्षण होना था फिर भी अपर कलेक्टर ने निगरानी सुनने में भूल की है और अपर आयुक्त ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर से प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन चित्रकूट पर लगने वाले मेले का ठेका दिनांक 31–8–97 से 3–9–97 तक अवधि का आवेदक को रू. 2,03,000/- में दिया गया था किन्तु आवेदक द्वारा ठेके की राशि जमा न करने के कारण तहसीलदार मझगवॉ को ठेके की राशि वसूली के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके द्वारा आवेदक पर आर.आर.सी. जारी की गई है। तहसीलदार की वसूली कार्यवाही म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 137 सहपठित 138 के अंतर्गत है जिसके कारण मामला नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत नही है इस सम्बन्ध में आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिया गया तर्क वास्तविकता के विपरीत है। 4/ आवेदक के अभिभाषक का अन्य तर्क यह है कि जब ठेका	

अवधि में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आपदा आने से ठेका स्थल पर वाहन नहीं आये। प्रशासन ने ठेका स्थल से 30 कि0मी0 दूर वाहन रोक दिये,जिसके कारण ठेका राशि वसूल न किये जाने के प्रस्ताव पत्र दिनांक 22-7-98 से मध्य प्रदेश शासन, स्थानीय शासन विभाग को भेजे गये है जो अभी विचाराधीन है जिसके कारण आवेदक पर राशि शोध्य नहीं है। अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने निगरानी प्रकरणों का निसकरण करते समय इस पर विचार नहीं किया है।

अपर कलेक्टर सतना के प्र.क. 169/07-08 निगरानी में पारित आदेश दि. 29-7-10 एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दि.5-7-17 में निकाले गये निष्कर्षो के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर सतना ने आदेश दि. 29-7-10 से तहसीलदार का आदेश इस आधार पर निरस्त कर वसूली के निर्देश दिये हैं कि जब राशि वसूल न करने वावत् किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन नहीं है अथवा आर.आर.सी. में वर्णित राशि वसूली स्थगित नहीं की गई है तब तहसीलदार मझगवॉ का वसूली स्थगित रखने वावत् लिया गया निर्णय अनुचित है जिसके कारण अपर कलेक्टर सतना के प्र.क. 169/07-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-7-10 एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 5-7-17 में निकाले गये निष्कर्षो में विसंगति नहीं है। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि प्रकरण में संलिप्त राशि की वसूली स्थगन के अभाव में किन आधारों पर रोक दी जावे।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा कराया जाय।

सदस्य